भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2551

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946, (शक)

ईपीएफओ द्वारा दावों का शीघ्र निपटान

2551. श्री जय प्रकाश:

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) सरकार द्वारा ईपीएफओ सदस्यों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए बनाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा दावों को पारदर्शी और त्रुटि रहित रीति से संसाधित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार का अनौपचारिक क्षेत्रों या गिग इकॉनोमी नौकरियों में निकट भविष्य में अधिक श्रमिकों को ईपीएफओ सदस्यता का लाभ देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): ईपीएफओ ने दावा निपटान की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वे निम्नानुसार हैं:

(i) अग्रिम दावों की स्वचालित मोड प्रोसेसिंग के लिए राशि की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बीमारी / अस्पताल में भर्ती अग्रिमों के अलावा, आवास, शिक्षा और विवाह के लिए अग्रिम भी स्वचालित मोड प्रोसेसिंग के लिए सक्षम बनाए गए हैं। अब 60 प्रतिशत अग्रिम दावे स्वचालित मोड में प्रोसेस किए जा रहे हैं।

स्वाचालित मोड से दावे तीन दिनों के भीतर प्रसंस्कृत कर दिए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 06.03.2025 तक, ईपीएफओ ने ऐतिहासिक उच्च लक्ष्य 2.16 करोड़ स्वचालित मोड दावों का निपटान कर प्राप्त किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 89.52 लाख से ज्यादा है।

(ii) सदस्य विवरण सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और जिन सदस्यों के पास आधार-प्रमाणित यूएएन हैं, वे बिना किसी ईपीएफओ हस्तक्षेप के अपनी आईडी में सुधार स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान में, लगभग 96 प्रतिशत सुधार बिना किसी ईपीएफ कार्यालय हस्तक्षेप के किए जा रहे हैं।

जारी..2/-

(iii) ट्रांसफर दावा सबमिशन अनुरोधों में, आधार-प्रमाणित यूएएन के लिए नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 10 प्रतिशत ट्रांसफर दावों के लिए सदस्य और नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है।

(iv) दावा फॉर्म के साथ चेक-लीफ जमा करने की आवश्यकता को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले केवाईसी के अनुरूप यूएएन के लिए भी लचीला बनाया गया है।

(v) अब बिना क्षेत्र कार्यालय जाने की आवश्यकता के 99.31 प्रतिशत से अधिक दावे ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, दिनांक 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार 7.14 करोड़ दावे ऑनलाइन मोड में दायर किए गए हैं।

(vi) यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य अयोग्य दावे न करें, सदस्यों को दावों की पात्रता/स्वीकृति के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए कुछ अग्रिम सत्यापन विकसित किए गए हैं।

(vii) सीआईटीईएस 2.01 के अंतर्गत सदस्य डेटाबेस के केंद्रीकरण के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ): केंद्रीय सरकार ने मौजूदा नौ केंद्रीय अधिनियमों के प्रासंगिक उपबंधों को समाहित कर, सरल और तर्कसंगत बनाकर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस संहिता) तैयार की है। उक्त संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ अनौपचारिक कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने का प्रावधान है।

सरकार ने दिनांक 01.02.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

*****